**न्यायालय :– सिविल जज (जूनियर डिवीजन ) हवाली, सहारनपुर ।**

मूलवाद संख्या–564 / 2021

जयपाल सिंह आदि      बनाम      नाथीराम आदि

**<u>11.04.2023</u>**

पत्रावली प्रस्तुत हुई । पुकार कराई गयी। वादी अनुपस्थित। वादी की ओर से न कोई विद्वान अधिवक्ता उपस्थित है तथा न ही कोई स्थगन प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है। पत्रावली अग्रिम आदेश हेतु मध्यावकाश पश्चात प्रस्तुत हो।

सिविल जज (जू0 डि0 )हवाली,<br>
सहारनपुर ।

<u>मध्यावकाश पश्चात</u>

पत्रावली पुनः प्रस्तुत हुई। पुकार कराई गयी। पुकार पर वादी अनुपस्थित। वादी की ओर से न कोई विद्वान अधिवक्ता उपस्थित है तथा न ही कोई स्थगन प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया, जिससे दर्शित होता है कि बार बार पुकार लगाए जाने पर भी आज वादी अनुपस्थित है। न्यायालय के मत में वादी की अनुपस्थिति से ऐसा प्रतीत होता है कि वादी प्रस्तुत प्रकरण की कार्यवाही में कोई रूचि नहीं ले रहा है। अतः वाद के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तुत वाद वादी की अनुपस्थिति में निरस्त किया जाता है।

पत्रावली नियमानुसार अभिलेखागार प्रेषित की जाए ।

सिविल जज (जू0 डि0) हवाली,<br>
सहारनपुर ।